बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

विषयः– उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग, बिहार द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में उच्च जातियों (अल्पसंख्यक सहित) के सदस्यों को जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के सम्बध में।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–314 दिनांक–31.01.2011 द्वारा राज्य की उच्च जातियों में शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप कमजोर वर्गों हेतु "उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग" का गठन किया गया है।

(2) उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग के ज्ञापांक–196 दिनांक–17.04.2015 द्वारा उच्च जातियों (अल्पसंख्यक सहित) के संदर्भ में आयोग द्वारा प्रतिवेदित अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–6267 दिनांक–28.04.2015 द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :–

(i) राज्य की उच्च जातियों (अल्पसंख्यक सहित) के परिवार से आने वाले छात्रों, जिन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्णता प्राप्त की है, को भी मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत रू0 10,000/–(दस हजार) की प्रोत्साहन राशि एकमुश्त प्रदान की जाय, यदि उनकी पारिवारिक आय रू0 1,50,000/–(एक लाख पचास हजार) प्रति वर्ष से कम हो।

(ii) शिक्षा विभाग के द्वारा उच्च जातियों (अल्पसंख्यक सहित) के कक्षा–01 से कक्षा–10 तक के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना भी चलायी जाय, जिसके अंतर्गत रू0 1,50,000/–(एक लाख पचास हजार) से कम प्रति वर्ष पारिवारिक आय वाले छात्रों को लाभान्वित किया जायगा।

(3) विदित हो कि राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण, शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु अभी तक मात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को यथास्थिति जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने का प्रावधान है। उच्च जाति के सदस्यों के पक्ष में जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने का प्रावधान नहीं है, जबकि उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग द्वारा की गयी अनुशंसाओं के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–6267 दिनांक–28.04.2015 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन हेतु उच्च जातियों के सदस्यों को भी जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने की आवश्यकता है।

(4) अतः राज्य सरकार ने भली–भाँति विचार करने के उपरांत सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–6267 दिनांक–28.04.2015 के कार्यान्वयन हेतु निम्नांकित निर्णय लिया है :–

(क) हिन्दु समुदाय के उच्च जातियों के ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार एवं कायस्थ तथा मुस्लिम समुदाय के उच्च जातियों के सैयद, शेख, एवं पठान (खान) जातियों के सदस्यों को जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जायेगा।

(ख) विवेचित जाति प्रमाण–पत्र सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0–673 दिनांक–08.03.2011 (समय–समय पर यथासंशोधित), जिसके द्वारा जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में विस्तृत दिशा–निदेश जारी किये गए हैं, में निहित प्रावधानों के तहत निर्गत किया जायेगा।

(ग) विवेचित जाति प्रमाण–पत्र संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा संलग्न विहित प्रपत्र में निर्गत किया जायेगा।

(5) यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/कर्मचारी चयन आयोग, बिहार पटना/बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना/केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)/पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार पटना/अति पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार पटना/राज्य महादलित आयोग, बिहार पटना/राज्यपाल सचिवालय, बिहार पटना/बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना/बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(राजेन्द्र राम) 13.7.2015

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/आ0–नी0–1–05/2015 सा0प्र0 10052 पटना–15, दिनांक– 13/07/2015

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

13.7.2015

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/आ0–नी0–1–05/2015 सा0प्र0 10052 पटना–15, दिनांक– 13/07/2015

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, पटना/ सचिव, अति पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग/सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/सचिव, उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी विश्वविद्यालय/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें ताकि सरकारी सेवा में तथा विभिन्न लोक उपक्रमों में अल्पसंख्यक समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके।

13.7.2015

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/आ0–नी0–1–05/2015 सा0प्र0 10052 पटना–15, दिनांक– 13/07/2015

प्रतिलिपि–सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों के बीच इसे परिचारित कराने की कृपा की जाय।

13.7.2015

सरकार के अपर सचिव।

विहित प्रपत्र

हिन्दु एवं मुस्लिम समुदाय के उच्च जातियों का जाति प्रमाण–पत्र।

(बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)

कार्यालय का नाम–.....

प्रमाण–पत्र सख्या–..... दिनांक–.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री .....
पिता / पति / श्री .....माता–.....ग्राम / नगर.....
प्रखण्ड..... पोस्ट..... थाना..... अनुमण्डल.....
जिला..... राज्य..... के (जाति का नाम) ..... (हिन्दु / मुस्लिम)
जाति के सदस्य हैं।

श्री / श्रीमती / सुश्री.....एवं उनका परिवार गाँव / शहर.....
प्रखण्ड..... पोस्ट .....थाना..... अनुमण्डल.....
जिला..... राज्य ..... में निवास करता है।

हस्ताक्षर
पदनाम–

(कार्यालय का मुहर सहित)